

सं.ए.11018/41/2016-एमएच-॥/एनसीडी-॥

भारत सरकार

रू वास थ य एवं परिवार कल याण मंत्रालय

एनसीडी-॥

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्रयोगशाला तकनीशियन पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं. एबी.14017/61/2008-रू था.(आरआर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्रयोगशाला तकनीशियन पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक रू टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (पीएन), रू वास थ य एवं परिवार कल याण मंत्रालय, कमरा नं. 414-ए, 'डी' विंग, रू वास थ य एवं परिवार कल याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110108 को लिखित रूप में या ई-मेल पते [prem.narain68@nic.in](mailto:prem.narain68@nic.in) पर भेज सकते हैं।

(प्रेम नारायण)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23062032

[भारत के राजपत्र, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ..... 2019

सा.का.नि. .... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (प्रयोगशाला तकनीशियन) भर्ती नियम, 1985 को, जहां तक उनका संबंध अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (प्रयोगशाला तकनीशियन) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान में प्रयोगशाला तकनीशियन पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई प्रयोगशाला तकनीशियन समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2019 होगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग - ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) के पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करन अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रयोगशाला तकनीशियन	01 (2019)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल - 5	लागू नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश या आदेश के अनुसार पांच वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विज्ञान के साथ 12वीं उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला पद्धति में दो वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम या एमएलटी में डिग्री  अथवा  किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एमएलटी में कोई डिग्री।
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति: (पुष्टि हेतु विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अपर निदेशक, एआईआईपीएमआर, मुंबई - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (पुनर्वास), एआईआईपीएमआर, मुंबई - सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य	लागू नहीं

[सं.ए.11018/41/2016-एमएच-II]

अवर सचिव, भारत सरकार